

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- गुलाबचन्द पुत्र शंकरलाल -:बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :-132/2023

ख  
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हक हुकम  
की तामील  
में जारी  
हुए

23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प केकिन्दड़ा में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- धनेरिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 214 के ख.नं. 107 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। अपने पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामा. भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया, बाद जमाबन्दी सं. 2046 से 2049 में भी प्रार्थी का नाम यथावत रहा परन्तु बाद की जमाबन्दी सं. 2050 से 2053 में प्रार्थी का नाम छूट गया जिसे दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान केकिन्दड़ा में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- धनेरिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 214 के ख.नं. 107 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। अपने पिता के फौत होने पर फौतेदगी नामा. भरा गया जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज किया गया, बाद जमाबन्दी सं. 2046 से 2049 में भी प्रार्थी का नाम यथावत रहा परन्तु बाद की जमाबन्दी सं. 2050 से 2053 में प्रार्थी का नाम छूट गया जिसे दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 214 के ख.नं. 107 में खातेदार अम्बालाल, गुमान, हड़मान पिता शंकर के साथ प्रार्थी गुलाबचन्द पिता शंकरलाल दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(SDO)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर जैतारण

